न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 50/2022
जी.सी.एम.एस. नं.: 2022/68

1. हरकिशन पुत्र जम्मूराम जाति कम्बोज निवासी 14 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी 14 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
3. बलवीरचन्द पुत्र जम्मूराम जाति कम्बोज निवासी 19 जीबी ढाणी तहसील श्रीविजयनगर
4. विद्यावती पत्नी हरकिशन जाति कम्बोज निवासी 14 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री प्रेम सिंह सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1**
3. **राजपैरोकार**
4. **एकपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 3 व 4**

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व तरतीबी पक्षकारान के नाम से संयुक्त खाता में भूमि 19 जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 1 प.नं. 177/400 का कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 21 ता 25 का 5.313है. नहरी खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी के नाम से 548/1771 हिस्सा भूमि दर्ज है। भूमि संयुक्त खाता में है एक प्रार्थी सहकाश्तकार/खातेदार है इसलिए अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से काश्त करने, राजस्व अदायगी करने, सिंचाई आबयाना अदा करने, भूमि सुधार करने आदि कार्यों में भारी परेशानीयों का सामना करना पडता है। इसलिए काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण तथा तरतीबी पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति से उपरोक्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया जिसमें प्रार्थी व तरतीबी पक्षकार विद्यावती के कब्जा काश्त में चक 19 जीबी का मु.न. 1 प.न. 177/400 का कि.न. 6/0.2530है., 7/0.1270 है. (कि.न.6 के साथ चिपता हुआ), 12 ता 17 रकबा [illegible].2530 है0 कुल 7.10 बीघा रकबा प्राप्त हुआ व शेष रकबा अप्रार्थी सं. 1 व तरतीबी पक्षकार बलवीरचन्द को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी को प्राप्त हुआ रकबा को प्रार्थी ने अपना मानते हुए प्रार्थी ने इसमें अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा, सुधार कर कृषि योग्य बनाया है व इसमें अनेक प्रकार की सुविधाए स्थापित की है। प्रार्थी के द्वारा किये गये सुधारो की बदौलत भूमि की किस्म में सुधार होने से कीमतो में आशातित वृद्धि हो चुकी है। प्रार्थी के द्वारा समय समय पर अप्रार्थी व तरतीबी पक्षकार से मिलकर बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन करवाकर पृथक पृथक किलावाईज दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया जाता रहा जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उनके द्वारा आश्वासन मात्र दिया जाता रहा कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो तहसीलदार के समक्ष ब्यान देकर पृथ्क पृथ्क बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि को दर्ज करवा लेगे जिस पर प्रार्थी सद्भावी विश्वास करता रहा व समय व्यतित होता रहा है हाल में ही करीब 20 रोज पूर्व पास की पंचायत में राजस्व कैम्प का आयोजन किया जाने पर जब प्रार्थी ने पुनः अप्रार्थी को इस बाबत कहा तो उसके द्वारा तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर टाल मटौल करने लगा व आज से एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी अपने साथ जे.सी. बी. मशीन, ट्रेक्टर, ट्रालियां आदि लेकर आया भूमि में गड्डे बनाने का प्रयास करने लगा जिस पर प्रार्थी ने उन्हे रोका व कहा कि आप बिना विधिक विभाजन किये भूमि मे गड्डे आदि नहीं बनाए व मिट्टी खनन नहीं करे तो अप्रार्थी कहने लगा कि मैने तो मिट्टी खनन के लिए भट्टा मालिक को बेच दी है अब भट्टा मालिक को जबरन मिट्टी उठवाकर भूमि में गड्डे बनाउगा और फिर सुधरी हुई भूमि को विभाजन में मैं प्राप्त कर लूगा और तुम्हे ये गड्डे दे दूगा यदि तुम तुम्हारे कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हे इसी प्रकार तंग परेशान करूगा जिस पर प्रार्थी ने ट्रेक्टर ट्राली वालो को भूमि संयुक्त खाता की होना बताकर मिट्टी उठाने से मना किया तो वे वहां से चले गये इसके उपरांत दिनांक 30.05.2022 को अप्रार्थी अपने साथ कुछ गुण्डा प्रवृति आदमियों को लेकर पुनः खेत में आया व कहने लगा कि मैं तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि मे से जबरन खाला/आड बीचोबीच में से निकालूगा जबकि अप्रार्थी को खालाध्आड एक साईड में उसके रकबा तक सिंचाई सुविधा हेतु पिछले काफी अर्सा से दी हुई है व चल रही है व अप्रार्थी के द्वारा जबरन खाला/आढ निकालने का प्रयास किया तो आस पास के लोगो के वहां आ जाने से एक बार तो वे वहां से चले गये किन्तु पुनः आकर भूमि में गड्ढे आदि बनाने व जबरन खाला/आड निकालने तथा प्रार्थी के रोकने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकीया देने लगे। जिस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाना श्रीविजयनगर में दिया व दिनांक 31.05.2022 को मौतबीरान व्यक्तियों की पंचायत कर अप्रार्थी सं. 1 को समझाया कि हमारा वाहमी बंटवारा किया हुआ है आप बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन करने में सहयोग करे व भूमि में गड्डे आदि बनाकर या जबरन प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में खाला/आड आदि निकालकर प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने का प्रयास न करे तो अप्रार्थी ने बाहमी बंटवारा को मानने से इन्कार कर दिया ऐलानिया धमकी दी कि वह प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में जबरन, बलपूर्वक विधि विरूद्ध तरीको से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए गड्डे बनाकर या अन्य प्रकार उसमें जहरीले व रासायनिक पदार्थ आदि डालकर भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देगा अथवा अपना दर्ज हिस्सा को अन्य किसी गुण्डा प्रवृति लौगो को विकय आदि कर उन्हें जबरन बलपूर्वक प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज कर प्रार्थी को कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल एंव महरूम कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपने शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि जिसमें प्रार्थी ने अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर संवारा सुधारा है व कृषि [illegible] जबरन महरूम एंव बेदखल होना पड़ेगा जिससे प्रार्थी को ना[illegible] वाला नुकसान होगा एंव पक्षकारान के मध्य विवाद [illegible] बढेगा, काश्त में भारी असुविधा होगी तृतीय पक्षकार के हित [illegible] होने से न्याय में अनावश्यक विलम्ब होगा जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए [illegible] दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि चक 19 जीबी

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 1 प.न. 177/400 का कि न. 2ता9, 12ता 19, 21 ता 25 का 5.313है0 भूमि में अप्रार्थी सं. 1 अपना दर्ज हिस्सा को अन्य को रहन, विकय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर या अन्य प्रकार से प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में स्वंय या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से गड्ढा खोदने, खालाध्आड आदि जवरन निकालने, रासायनिक पदार्थ आदि डालकर भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट करने या ऐसा कोई कार्य करने जिससे प्रार्थी को काश्त में परेशानी हो ऐसा कार्य करने से वाज एंव ममनू रहे व मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 का जवाव दिनांक 12.08.2025 को वंद किया गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी अपनी वहस में कथन किय कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, अप्रार्थी द्वारा कभी भी प्रार्थी को धमकी नहीं दी। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विवादित भूमि चक 19 जीवी खाता सं. 54 में दर्ज मु.नं. 1 प.नं. 177/400 की कुल 5.313है. नहरी भूमि कृष्णलाल पुत्र मनीराम हिस्सा 235/759, बलवीर चन्द पुत्र जम्मूराम हिस्सा 1/3, विद्यावती पत्नी हरकिशन हिस्सा 1/21 व हरकिशन पुत्र जम्मूराम हिस्सा 548/1771 खातेदार संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित भूमि में विशिष्ट किलाजात प्रार्थी व अप्रार्थी विद्यावती के कब्जाशश्त में है जो बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुए है, अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार किया है। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। विवादित भूमि के विधिवत विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार है, ऐसी स्थिति में रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जानी उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:08 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर